

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 327]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 अगस्त 2015—श्रावण 23, शक 1937

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2015

अधि. क्र. एफ 73-2-2014-अड़तीस-3.—डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2015 (क्रमांक 4 सन् 2015) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, 14 अगस्त, 2015 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको कि उक्त अध्यादेश प्रवृत्त होगा.

Noti. No. F-73-2-2014-XXXVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of Dr. B. R. Ambedkar University of Social Sciences Ordinance, 2015 (No. 4 of 2015), the State Government, hereby, appoints the 14th day of August, 2015 as the date on which the said Ordinance shall come into force.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विजय, उपसचिव.